न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1081 / 2024
अनवान : –

1. भादर सिंह पुत्र कोरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब हाल सोती बड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अंग्रेज कोर पुत्री कोरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब।
2. बलजीत कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: -16/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39 / 35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 81 / 11638 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 74 / 73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी का 1 / 30 व 2 / 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1 / 30 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 160 / 146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि जिसमें से 1 / 24 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89 / 85 की कुल 4.080 हैक्ट भूमि में से से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादी काबिज है तथा वादी का वास्तविक व सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह लेकिन राजस्व रिकार्ड में बहादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा [illegible] कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश कि जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादी काबिज है तथा वादी का वास्तविक व सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह लेकिन राजस्व रिकार्ड में बहादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 81/11638 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 74/73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से वादी का 1/30 व 2/3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/30 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 [illegible]/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि जिसमें से 1/24 भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तह[illegible] नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 4.080 हैक्ट भूमि में से से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादी काबिज है तथा वादी का वास्तविक व सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह लेकिन राजस्व रिकार्ड में बहादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम भादर सिंह पुत्र कोरसिंह दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 0.2429 हैक्ट भूमि का तथा खाता स0 74/73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 2.783 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट में 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 4.080 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी के नाम दर्ज है, उक्त दोनो खातों में वादी की सकूनात बुर्ज ढिलवा तहसील मानसा पंजाब के स्थान पर बुर्ज ढिलवा तहसील मानसा पंजाब हाल सोतीबड़ी तहसील नोहर के अंकन की घोषणा की जाती है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व खाता स0 74/73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी का नाम बहादर सिंह पुत्र कौर सिंह के स्थान पर भादर सिंह पुत्र कौर सिंह के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1081/2024

अनवान : –

1. भादर सिंह पुत्र कोरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब हाल सोती बड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अंग्रेज कोर पुत्री कोरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब।
2. बलजीत कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज टिलवा तहसील मानसा पंजाब।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक – 16/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगीराम बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से 0.2429 हैक्ट भूमि का तथा खाता स0 74/73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 2.783 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त दोनो खातों में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट में 1/24 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 89/85 की कुल 4.080 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी के नाम दर्ज है, उक्त दोनो खातों में वादी की सकूनात बुर्ज ढिलवा तहसील मानसा पंजाब के स्थान पर बुर्ज ढिलवा तहसील मानसा पंजाब हाल सोतीबड़ी तहसील नोहर के अंकन की घोषणा की जाती है तथा रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि व खाता स0 74/73 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में वादी का नाम बहादर सिंह पुत्र कौर सिंह के स्थान पर भादर सिंह पुत्र कौर सिंह के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested